

‘यह भी जानिए’

पवन कुमार

गंगाजल ‘ब्रह्म द्रव्य’ : उमा भारती

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने कहा, गंगा नदी में औषधीय गुण हैं जिसके कारण इसे ‘ब्रह्म द्रव्य’ कहा जाता है और जो इसे दूसरी नदियों से अलग करता है। इसका वैज्ञानिक आधार है। इस बारे में नीरी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने कहा, अब हम इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं।

पौराणिक काल से ‘ब्रह्म द्रव्य’ के रूप में प्रचलित गंगा नदी के औषधीय गुणों एवं प्रवाह मार्ग पर जल के स्वरूप एवं इससे जुड़े विभिन्न कारकों एवं विशेषताओं का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा शुरू कराया गया अध्ययन कार्य पूरा हो चुका है और इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। यह अध्ययन राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान (NEERI) ने किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गंगा नदी के औषधीय गुणों एवं प्रवाह मार्ग से जुड़े कारणों के अध्ययन का दायित्व नीरी को दिया गया था। इसके लिए तीन मौसमों के अध्ययन की जरूरत थी और इसके उपरांत संस्थान ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है।

इस अध्ययन एवं अनुसंधान परियोजना को 15 महीनों में पूरा किया जाना था। इस अध्ययन में गंगा जल के विशेष गुणधर्मों के स्रोतों को पहचानने की प्रक्रिया थी। इसी तरह नदी के पानी में मिलने वाले प्रदूषित जल के अनुपात से होने वाले दुष्परिणामों का पता लगाना भी एक हिस्सा था।

मंत्री महोदया उमा भारती ने कहा कि गंगा नदी के औषधीय गुणों के बारे में वरिष्ठ शिक्षाविद प्रोफेसर भार्गव का सिद्धांत भी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कारण बताया गया है कि हिमालय औषधियों से भरा है जो शीत ऋतु में बर्फ से दब जाते हैं। बर्फ पिघलने के बाद औषधियां पानी के साथ गंगा नदी में मिल जाती हैं। इस अध्ययन में इसका भी पता लगाने का प्रयास किया गया कि गंगा के जल में औषधीय गुण मौजूद हैं या धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं।



अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर कार्यशाला

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान रुड़की में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर “जल संरक्षण एवं जल संवर्धन” विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री दीपक रावत, जिलाधिकारी, हरिद्वार के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री मयूर दीक्षित, ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट रुड़की ने प्रतिभाग किया। मुख्य वक्ता डॉ. मनोहर अरोड़ा ने क्लाइमेट चेन्ज पर अपना विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किया वहीं दूसरी ओर डॉ. प्रदीप सचान द्वारा पर्यावरण पर अपना व्याख्यान दिया गया। डॉ. दिगम्बर सिंह, वैज्ञानिक ने जल संरक्षण एवं जल संवर्धन पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। अन्तू आर्ट गैलरी के बच्चों ने अपनी नृत्य प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में प्रतिभागियों को भाव-विभोर कर दिया। इस शुभ अवसर पर विश्व पर्यावरण एवार्ड-2017 के लिए उत्कृष्ट कार्यों हेतु पवन कुमार, सह संपादक जल चेतना, प्रदीप कुमार उनियाल, सह संपादक जल चेतना, डॉ. मनोहर अरोड़ा, पर्यावरणविद डॉ. सौरभ गुप्ता श्री विपिन त्यागी, प्राचार्य, नरेश त्रेहन, बी.एच.ई.एल. हरिद्वार को जिलाधिकारी महोदय के कर कमलों द्वारा सम्मानित किया गया। संस्थान के कार्यकारी निदेशक ने अपने व्याख्यान में जानकारी दी कि राजसं द्वारा तालाबों के पुनरुद्धार के क्रम में भगवानपुर ब्लॉक के अन्तर्गत इब्राहिमपुर मसाही गांव में एक तालाब का जीर्णोद्धार कर एक मॉडल तैयार किया गया है जिसका उद्घाटन इसी माह में माननीय केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री द्वारा किया जाएगा। इसके उपरान्त इस मॉडल के



तहत 14 अन्य तालाबों का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। मुख्य अतिथि ने अपने व्याख्यान में कहा कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हमें दिल से पॉलीथिन का उपयोग बंद करना चाहिए। जल के संरक्षण के लिए रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग पर बल दिया जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि अब नक्शे दो चरणों में पास करने का प्रस्ताव किया जाएगा प्रथम चरण जल संचयन हेतु वाटर टैंक के निर्माण की फोटो देखने के उपरान्त ही दूसरे चरण का नक्शा पास किया जाएगा। मुख्य अतिथि ने राजसं से अनुरोध किया कि जिले में लगभग 5000 उद्योग हैं उनके लिए भी कोई ऐसा मॉडल तैयार किया जाए जिससे फैक्टरियों द्वारा प्रयोग किया गया पानी उपचारित होने के पश्चात ही छोड़ा जाए जिससे जन-मानस को कोई नुकसान न हो तथा भूजल प्रदूषित न हो। मॉडल प्राप्त होने के उपरान्त वे फैक्टरियों को भी निर्देशित करेंगे कि वे अपने पैसे से उक्त मॉडल तैयार करें। इस अवसर पर संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री सी.पी. कुमार, कार्यक्रम संयोजक श्री ब्रह्म पाल सिंह सैनी, जिला शिक्षा अधिकारी (वेसिक), अंकित शर्मा प्रबंधक, जीवन ज्योति, पब्लिक स्कूल मेहवड़ कलों, श्री गोपाल कृष्ण, नरेश सैनी, फुरकानउल्लाह, ए.आर. सैन्थिल कुमार, अंजू चौधरी, तेजपाल, सुखपाल, दौलत राम, महेन्द्र सिंह, दीपक शर्मा इत्यादि मौजूद थे।

मृत तालाब को जीवन दे रहा एन.आई.एच.

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (एन.आई.एच.) रुड़की की ओर से जल संरक्षण और स्वच्छता पर सार्थक पहल की जा रही है। इसके तहत भगवानपुर ब्लॉक की इब्राहिमपुर मसाही ग्राम पंचायत में तालाब को पुनर्जीवित कर उसके नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है। संस्थान के वैज्ञानिकों की इस पहल को देखते हुए केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की ओर से एन.आई.एच. को आठ करोड़ की लागत से मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) में 14 तालाबों को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

एन.आई.एच. के अनुसंधान प्रबंधन एवं प्रसार-प्रभाग की ओर से सामाजिक पहल के तहत इब्राहिमपुर मसाही गांव में पिछले कई वर्षों से अनुपयोगी हो चुके तालाब को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। अब तालाब के पानी का उपचार कर उसे सिंचाई और मछली पालन के योग्य भी बनाया जाएगा। तालाब के आसपास सौंदर्यीकरण का भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा संस्थान जिले में अन्य तालाबों के पुनरुद्धार के लिए भी प्रयास करेगा।

एन.आई.एच. के अनुसंधान प्रबंधन एवं प्रसार प्रभाग के अध्यक्ष एवं परियोजना संयोजक डॉ. वी.सी. गोयल ने बताया कि इब्राहिमपुर मसाही में स्थित तालाब बीते कई सालों से अनुपयोगी हो गया था। ऐसे में संस्थान ने अपने स्तर पर नवीनीकरण करने की ठान ली। वर्ष 2015 से इसको पुनर्जीवित करने का कार्य चल रहा है। बताया कि कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड पद्धति के जरिये तालाब का नवीनीकरण किया जा रहा है। घरों से निकलने वाला गंदा पानी गिरने से पहले उसका प्राकृतिक तरीके से उपचार किया जाएगा। इससे ग्रामीण इस पानी का सिंचाई और मछली पालन में उपयोग कर सकेंगे।

बताया कि तालाब सबसे बेहतर ईको सिस्टम है। ईको पुनर्जीवित होने से पानी की उपलब्धता एवं उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, सूखे की समस्या से छुटकारा मिलेगा और रीचार्ज बढ़ने समेत कई अन्य लाभ होंगे।

डॉ. गोयल के अनुसार विश्व पर्यावरण दिवस पर एन.आई.एच. में आयोजित कार्यक्रम में डीएम ने जिले के 43 तालाबों को पुनर्जीवित करने की बात कही थी।

नवीनीकरण के बाद 20 फीसद इजाफा

पहले इस तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़, औसत गहराई 2.3 मीटर और आयतन 5200 घन मीटर था। नवीनीकरण के बाद इसकी क्षमता में 20 फीसद तक इजाफा होगा। इसका फायदा क्षेत्रवासियों को मिलेगा।

कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड पद्धति

कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड गंदे पानी के उपचार की प्राकृतिक घटकों, जैसे बजरी और पौधे का उपयोग कर गंदे पानी के प्रदूषण का निवारण करती है। यह पद्धति कम लागत और न्यूनतम रखरखाव होने से गांववासियों के लिए उपयुक्त है। वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल यह पद्धति यूरोप में अधिक प्रचलित है।

भूजल पर सातवीं अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फरेन्स का आयोजन

भूजल विज्ञान 2030 : जल सुरक्षा, चुनौतियां एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर दिनांक 11-13, दिसम्बर, 2017 को 7वीं अन्तर्राष्ट्रीय भूजल संगोष्ठी का नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। इस संगोष्ठी का आयोजन केन्द्रीय भूजल बोर्ड, एशोसिएशन ऑफ ग्लोबल ग्राउन्ड वाटर साइंटिस्ट्स एवं टेक्साज ए एण्ड एम यूनिवर्सिटी, यू एस ए के सहयोग से राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की द्वारा किया जा रहा है। इस संगोष्ठी का उद्घाटन माननीया जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती के कर कमलों द्वारा किया जाएगा।

इस संगोष्ठी के संयोजक राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एन.सी. घोष और आयोजक सचिव डॉ. अनुपमा शर्मा एवं सह आयोजक डॉ. सुरजीत सिंह हैं। संगोष्ठी में देश-विदेश के जाने-माने वैज्ञानिक एवं शोधकर्ता भविष्य में भूजल पर उत्पन्न समस्याओं एवं उनके समाधान पर मिलकर विचार करेंगे ताकि भविष्य में आने वाली जल समस्याओं की चुनौतियों का सामना किया जा सके।

इस संगोष्ठी में वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित विषय-वस्तु पर सघन चर्चा व विचार किया जाएगा।

- ◆ विज्ञान 2030 : जल सुरक्षा हेतु भावी तैयारियां।
- ◆ विज्ञान 2030 : जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करना।
- ◆ विज्ञान 2030 : शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में जल संसाधन।
- ◆ निर्मल एवं अविरल गंगा : इंडो गंगेटिक मैदानों एवं तलीय प्रवाह अविरलता में जल गुणवत्ता एवं मात्रा में प्रबंधन।
- ◆ भूजल संप्रदूषण एवं चुनौतियां।
- ◆ भूजल निदर्शन एवं प्रबंधन।
- ◆ भूजल निर्धारण एवं समन्वेषण के लिए उन्नत तकनीकें।
- ◆ भूजल संसाधनों का संवर्धन।
- ◆ भूजल अन्वेषण एवं प्रबंधन में समस्थानिक तकनीकें।
- ◆ भूजल नीति विनियमन एवं शासन।
- ◆ इस संगोष्ठी से संबंधित पूर्ण जानकारी राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की की अधिकारिक वेबसाइट www.nihroorkee.gov.in/igwc2017 पर प्राप्त की जा सकती है।



हिंदी में तकनीकी पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना का शुभारंभ

जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की द्वारा हिंदी में तकनीकी पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "राष्ट्रीय जल जागरूकता पुरस्कार योजना प्रारंभ की जा रही है। इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 के दौरान प्रकाशित तकनीकी पुस्तकें आमंत्रित की गई हैं। इस योजना के तहत पुस्तकों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:-

प्रथम श्रेणी - मौलिक रूप से हिंदी में प्रकाशित तकनीकी पुस्तकें

द्वितीय श्रेणी - हिंदी में प्रकाशित अनूदित तकनीकी पुस्तकें

पुरस्कार योजना हेतु स्वीकार्य पुस्तकों के विषय

- जलविज्ञान
- जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में जल
- जल के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग
- कृषि, वन, पर्यावरण के क्षेत्र में जल की भूमिका

पात्रता एवं सामान्य शर्तें

- भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है।
- एक लेखक एक से अधिक प्रविष्टियां भी भेज सकता है। पुस्तक में एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में पुरस्कार राशि प्रथम लेखक को प्रदान की जाएगी। सह-लेखक होने की स्थिति में पुरस्कार राशि प्रथम लेखक को प्रदान की जाएगी। सह-लेखकों को पुरस्कार राशि के वितरण की जिम्मेवारी समिति की न होकर प्रथम लेखक की होगी।
- किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी।
- उपर्युक्त विषयक योजना के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की को दी जाए।
- योजना के अंतर्गत कलेंडर वर्ष के दौरान प्रकाशित पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं। पुस्तक का विषय किसी पी.एच.डी. शोध के लिए शामिल न किया गया हो।
- लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो, संदर्भ देंगे।
- पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठ (कम से कम 50 हजार शब्द) की होनी चाहिए। इसमें फोटोग्राफ एवं संदर्भों के पृष्ठ शामिल नहीं होंगे।
- पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करने पर केवल तृतीय श्रेणी (वातानुकूलित) (3 AC) का रेल किराया दिया जाएगा।
- पुरस्कृत लेखक तीन वर्षों के उपरांत ही इस योजना में पुनः भाग ले सकते हैं।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पुस्तक किसी अन्य पुस्तक/लेखों आदि से अनूदित, इनसे नकल की गई नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा पाया गया तो पुस्तक स्वीकार नहीं की जाएगी और यदि पुरस्कार देने के बाद ऐसा पाया गया तो संस्थान को पूरा अधिकार होगा कि वह पुरस्कार की धनराशि लेखक से वापिस ले। ऐसे विवाद का न्यायिक निपटान रुड़की क्षेत्र में होगा।
- ऐसी पुस्तकें जो किसी कार्यक्रम के लिए या किसी भी सरकारी विभाग/एजेंसी से प्राप्त अनुदान/सहायता से लिखी/प्रकाशित की गई हो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।

प्रविष्टियां भेजने की विधि

- प्रविष्टियां विभाग की वेबसाइट पर अपलोड संलग्नक-क में दिए गए प्रपत्र (अनिवार्यतः पूरे भरे हुए) के साथ भेजी जाएं अन्यथा उन्हें स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की 02 प्रतियां भेजी जाएं। पुस्तकें वापिस नहीं की जाएंगी।
- प्रथम लेखक अपनी प्रविष्टियां विभाग की वेबसाइट पर अपलोड तिथि 30.09.2017 तक अवश्य भिजवा दें। इस तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

पुरस्कार संबंधी घोषणा

- पुरस्कार संबंधी निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी तथा विभाग की वेबसाइट पर भी रखी जाएगी।
- पुरस्कार वितरण राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान द्वारा निर्धारित तिथि पर किया जाएगा।

सामान्य

- पुरस्कार के लिए पुस्तक के मूल्यांकन के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
- योजना के बारे में सूचना राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान की वेबसाइट www.nihroorkee.gov.in पर भी उपलब्ध है।
- इस योजना में पांडुलिपि (हस्तलिखित अथवा टंकित) पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः प्रकाशित पुस्तकें ही विचारणीय होंगी।

प्रविष्टि भेजने का पता

निदेशक
राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान
जलविज्ञान भवन, रुड़की-247 667(उत्तराखंड)

पुरस्कार राशि

प्रथम श्रेणी के अंतर्गत

प्रथम - रु. 50,000/- एवं स्मृति चिह्न

द्वितीय - रु. 30,000/- एवं स्मृति चिह्न

तृतीय - रु. 20,000/- एवं स्मृति चिह्न

द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत

प्रथम - रु. 50,000/- एवं स्मृति चिह्न

द्वितीय - रु. 30,000/- एवं स्मृति चिह्न

तृतीय - रु. 20,000/- एवं स्मृति चिह्न

राष्ट्रीय जल मंथन-4, संगोष्ठी का आयोजन

जल क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मसलों के समाधान के लिए अपने वायदेनुसार भागीदारों के साथ व्यापक परामर्श करने एवं बुद्धि जीवियों से नए विचारों के आदान-प्रदान करने के दृष्टिकोण से जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय जल मंथन-4 पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी का आयोजन 28 जुलाई और 29 जुलाई 2017 को किया गया और इसका उद्घाटन माननीया जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती ने किया। इस संगोष्ठी में संबंधित मंत्रालयों के कई केन्द्रीय मंत्रियों, मुख्य मंत्रियों, राज्यों के सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्रियों और जल क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने प्रतिभागिता की। वक्तव्य के अनुसार पहले दिन प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMSKY) और इसके कार्यान्वयन एवं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) के तहत राज्यों द्वारा की गई प्रगति और कमाण्ड एरिया डेवलपमेन्ट (सी.ए.डी.) पर परामर्श एवं चर्चा की गई।

संगोष्ठी के दूसरे दिन चर्चा का केन्द्र बिन्दु नदियों को आपस में जोड़ने और उसके कार्यान्वयन पर रहा, जिसकी अध्यक्षता सुश्री उमा भारती जी ने की। इससे पहले भी तीन जल मंथन कार्यक्रम क्रमशः नवम्बर 2014, फरवरी, 2016 और जनवरी, 2017 में सफलतापूर्वक आयोजित हुए थे।

केन और बेतवा पर उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश की बातचीत में नहीं पड़ेगा केंद्र

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच केन बेतवा नदी जोड़ने वाली परियोजना पर होने वाली बातचीत में केंद्र भाग नहीं लेगा। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने यहां कहा कि दोनों राज्यों के बीच कोई मतभेद नहीं है। यही कारण है कि केंद्र इस बातचीत से दूर रहेगा।

जल संसाधन मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय जल मंथन चतुर्थ के समापन के बाद भारती ने यह टिप्पणी की। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने कहा मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि वह जल बटवारे मुद्दे पर फिर से बातचीत करना चाहता है। इसीलिए दोनों राज्यों को एक दूसरे से बातचीत करने की सलाह दी गई है। केंद्र इसमें हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि दोनों राज्यों के बीच कोई मतभेद नहीं है। दोनों दोस्ताना बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि केन बेतवा नदी जोड़ों परियोजना जैसी बड़ी योजना पर काम करने के दौरान किसी भी मुद्दे को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। नदी जोड़ने की दिशा में पहला कदम होगा

नदियों को जोड़ने की दिशा में केन बेतवा जोड़ने की परियोजना पहला कदम है। इसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्रमशः तीन और चार जिलों में सालाना 6,35,661 हेक्टेयर इलाके की सिंचाई हो सकेगी। इसके अलावा परियोजना से दोनों राज्यों के 13.42 लाख लोगों को पेयजल के लिए चार करोड़ 90 लाख क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। परियोजना से 78 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी।

संदर्भ

हिन्दुस्तान।

दैनिक जागरण।



संपर्क करें:

पवन कुमार, सह-संपादक जल चेतना
 राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान रुड़की-247667, हरिद्वार, उत्तराखंड
 मो.न. 9359729313, 01332-249267
 ईमेल: pksharma019@gmail.com